

INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

HPSC – HCS

**HARYANA PUBLIC
SERVICE COMMISSION**

प्रारंभिक परीक्षा हेतु

भाग – 1

हरियाणा का सामान्य ज्ञान (GK) + भारतीय राजव्यवस्था

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “HPSC-HCS (Haryana Public Service Commission - Haryana Civil Service) (प्रारंभिक परीक्षा हेतु)” को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “HPSC-HCS” भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे /

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

WhatsApp करें - <https://wa.link/ua8u6t>

Online Order करें - <http://surl.li/pclyv>

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम (2024)

हरियाणा का भूगोल		
क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	हरियाणा का उदय <ul style="list-style-type: none"> • शब्द की उत्पत्ति • हरियाणा राज्य की अलग माँग 	1
2.	हरियाणा : स्थिति और विस्तार	3
3.	हरियाणा : भौतिक प्रदेश	5
4.	अपवाह तंत्र एवं झीलें <ul style="list-style-type: none"> • अपवाह तंत्र का वर्गीकरण • हरियाणा राज्य की प्रमुख झीलें 	8
5.	हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था एवं सिंचाई परियोजनाएँ <ul style="list-style-type: none"> • प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ • अन्य प्रमुख सिंचाई योजनाएँ • हरियाणा के प्रमुख बाँध 	11
6.	जलवायु <ul style="list-style-type: none"> • जलवायु का अध्ययन • जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक • क्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण 	13
7.	मृदा संसाधन <ul style="list-style-type: none"> • अत्यंत हल्की मिट्टी • धरातलीय बनावट के आधार पर 	16
8.	वन सम्पदा <ul style="list-style-type: none"> • हरियाणा के वनों का क्षेत्रफल व उनकी • वन विभाग के आधार पर वनों का वर्गीकरण • हरियाणा राज्य वन नीति 2006 • राज्य के प्रमुख हर्बल पार्क 	18
	राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य <ul style="list-style-type: none"> • हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान • हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य • हरियाणा राज्य में प्रजनन केंद्र एवं संरक्षण 	21
<u>हरियाणा की अर्थव्यवस्था</u>		

1.	कृषि एवं प्रमुख फसलें <ul style="list-style-type: none"> • हरियाणा की कृषि उत्पादन • हरियाणा में कृषि संबंधित विश्वविद्यालय • कृषि से संबंधित राज्य सरकार की योजनाएँ 	24
2.	पशुपालन एवं डेयरी विकास <ul style="list-style-type: none"> • हरियाणा में पशुपालन वाले प्रमुख जिले • पशुपालन तथा डेयरी संबंधित तथ्य • पशुपालन एवं डेयरी विकास हेतु संचालित योजनाएँ 	30
3.	खनिज एवं ऊर्जा संसाधन <ul style="list-style-type: none"> • परम्परागत ऊर्जा स्रोत • गैर - परम्परागत ऊर्जा स्रोत 	34
4.	औद्योगिक संरचना <ul style="list-style-type: none"> • हरियाणा के प्रमुख उद्योग • प्रमुख औद्योगिक ईकाइयाँ 	37
5.	परिवहन एवं जनसंचार व्यवस्था <ul style="list-style-type: none"> • हरियाणा राज्य में परिवहन व्यवस्था • हरियाणा में जनसंचार व्यवस्था, 	40
6.	पर्यटन स्थल <ul style="list-style-type: none"> • हरियाणा के प्रसिद्ध मन्दिर • हरियाणा के आधुनिक पर्यटन स्थल • हरियाणा के प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल 	45
हरियाणा का इतिहास		
1	हरियाणा का प्राचीन इतिहास <ul style="list-style-type: none"> • प्राचीन इतिहास • हरियाणा के इतिहास के स्रोत • ऐतिहासिक ग्रंथ 	51
मध्यकालीन इतिहास		

2.	हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास <ul style="list-style-type: none"> • तुर्क आक्रमण और हरियाणा • चौहानों का हरियाणा में उदय • भादानकों का उदय और हरियाणा • तराईन के द्वितीय युद्ध के बाद हरियाणा • मुगलों और संतनामियों का विद्रोह • मराठा तथा सिक्ख शक्तियों का प्रादुर्भाव • महादजी सिंधिया और हरियाणा 	63
आधुनिक इतिहास		
3.	हरियाणा का आधुनिक इतिहास <ul style="list-style-type: none"> • ईस्ट इण्डिया कम्पनी का हरियाणा क्षेत्र में आगमन • कम्पनी द्वारा हरियाणा क्षेत्र में प्रशासनिक परिवर्तन • ईस्ट इण्डिया कंपनी के विरुद्ध • ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा छीनी गई रियासत - • 1857 की क्रांति में हरियाणा का योगदान • 1857 की क्रांति में रियासतों की भूमिका • अंग्रेज समर्थक रियासतें • राष्ट्रीय आंदोलन (1885 - 1919) 	72
हरियाणा की कला, संस्कृति और साहित्य		
1.	भाषा एवं साहित्य <ul style="list-style-type: none"> • हरियाणवी भाषा या बोली • साहित्य अकादमी 	82
2.	पुरातत्विक स्थल एवं संग्रहालय <ul style="list-style-type: none"> • हरियाणा के पुरातत्विक किले • हरियाणा के प्रमुख संग्रहालय 	91
3.	वास्तुकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला <ul style="list-style-type: none"> • हरियाणा की वास्तुकला • हरियाणा में प्राचीन एवं मध्यकालीन • आधुनिक कालीन वास्तुकला 	94

	• हरियाणा में चित्रकला	
4.	लोकसंगीत, लोकवाद्य एवं लोकनृत्य <ul style="list-style-type: none"> • हरियाणा के लोकनृत्य • महिलाओं के प्रमुख लोक नृत्य • हरियाणा में पुरुषों के लोकनृत्य 	96
5.	लोक - वाद्य यंत्र <ul style="list-style-type: none"> • हरियाणा के गायक 	98
6.	लोक नाट्य कला : स्वांग <ul style="list-style-type: none"> • हरियाणा के प्रमुख साँगी 	100
7.	पर्व - त्यौहार, उत्सव एवं मेले	101
8.	वेशभूषा, आभूषण तथा लोक विश्वास	107
हरियाणा की राजव्यवस्था		
1.	प्रशासनिक व्यवस्था <ul style="list-style-type: none"> • हरियाणा की प्रशासनिक संरचना • हरियाणा का संसद में प्रतिनिधित्व • हरियाणा के राज्यपालों की सूची • मुख्यमंत्री • हरियाणा के मुख्यमंत्रीयों की सूची • मंत्रिपरिषद • हरियाणा के अन्य न्यायिक संस्थान • हरियाणा की महत्वपूर्ण संस्था एवं आयोग • हरियाणा में कानून व्यवस्था पुलिस प्रशासन • पंचायती राज व्यवस्था • हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम • हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त अधिकार • हरियाणा में ग्राम पंचायत को दिए जाने वाले पुरस्कार • हरियाणा पंचायती राज से सम्बन्धित नई योजनाएँ • नगरीय स्वशासन 	110
	हरियाणा : विविध <ul style="list-style-type: none"> • शिक्षा एवं शिक्षा से सम्बन्धित योजनाएँ हरियाणा में उच्च शिक्षा से संबंधित प्रमुख योजनाएँ 	121

	<ul style="list-style-type: none"> • हरियाणा में खेलकूद एवं पुरस्कार • अन्य खेलों से संबंधित राज्य के प्रमुख खिलाड़ी • राज्य के प्रमुख खेल स्टेडियम • हरियाणा के खेल पुरस्कार • हरियाणा द्वारा दिए जाने वाले शिक्षा पुरस्कार • राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व • राज्य के प्रसिद्ध व्यापारिक व्यक्ति • राज्य के प्रमुख सैन्य व्यक्तित्व इत्यादि 	
भारतीय राजव्यवस्था		
1.	संविधान निर्माण <ul style="list-style-type: none"> • संविधान सभा की समितियां • संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति 	140
2.	भारतीय संविधान की विशेषताएँ <ul style="list-style-type: none"> • भारतीय संविधान के स्रोत 	150
3.	संविधान संशोधन <ul style="list-style-type: none"> • मूल ढांचा 	155
4.	उद्देशिका (प्रस्तावना) <ul style="list-style-type: none"> ❖ संघ एवं इसका क्षेत्र ❖ नागरिकता 	164
5.	मौलिक अधिकार <ul style="list-style-type: none"> • मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ • संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति 	171
6.	नीति निदेशक तत्व <ul style="list-style-type: none"> • पंचायत व्यवस्था से सम्बंधित प्रावधान 	182
7.	मूल कर्तव्य	183
8.	राष्ट्रपति <ul style="list-style-type: none"> • राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ❖ उपराष्ट्रपति • शक्तियाँ और कार्य 	194
9.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	216

	<ul style="list-style-type: none"> • केंद्रीय मंत्रिपरिषद् • मंत्रिमंडल • मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व • किचन कैबिनेट 	
10.	भारतीय संसद <ul style="list-style-type: none"> • संघीय विधानमंडल (संसद) • अधिवेशन • राज्यसभा • संयुक्त बैठक अनुच्छेद- 108 • भारत की लोकसभायें • संसद की कार्यवाही 	222
11.	केन्द्र- राज्य संबंध <ul style="list-style-type: none"> • विधायी संबंध • प्रशासनिक संबंध • अखिल भारतीय सेवाएँ • वित्तीय संबंध 	235
12.	उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुत्रावलोकन <ul style="list-style-type: none"> • भारतीय सर्वोच्च न्यायालय (आर्टिकल - 124) • न्यायिक समीक्षा के प्रकार • न्यायिक सक्रियता • मुख्य न्यायाधीश रमन्ना की न्यायिक समीक्षा पर टिप्पणी 	238
13.	निर्वाचन आयोग <ul style="list-style-type: none"> • प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त • निर्वाचन आयोग का कार्य • वयस्क मताधिकार का सिद्धांत (अनु. 326) 	251
14.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक <ul style="list-style-type: none"> • शक्तियां एवं कार्य 	256
15.	नीति आयोग <ul style="list-style-type: none"> • नीति आयोग की संरचना • नीति आयोग के उद्देश्य 	258
16.	केंद्रीय सतर्कता आयोग <ul style="list-style-type: none"> • विभागीय जाँच आयुक्त 	260

	• केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)	
17.	संघ लोक सेवा आयोग <ul style="list-style-type: none"> • संघ लोक सेवा आयोग की संरचना • संघ लोक सेवा आयोग के कार्य 	265
18.	लोकपाल	267
19.	केंद्रीय सूचना आयोग	269
20.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	274
21.	राज्य की राजनीतिक व्यवस्था	276
22.	राज्यपाल	276
23.	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् <ul style="list-style-type: none"> • मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ 	281
24.	राज्य विधान मण्डल व विधानसभा <ul style="list-style-type: none"> • राज्य विधानपरिषद् व विधानसभा • विधान परिषद् की शक्तियाँ 	283
25.	उच्च न्यायालय <ul style="list-style-type: none"> • उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार • अन्तर्ण सम्बन्धी क्षेत्राधिकार 	288
26.	जिला प्रशासन	293
27.	राज्य लोक सेवा आयोग <ul style="list-style-type: none"> • हरियाणा लोक सेवा आयोग 	298
28.	राज्य मानवाधिकार आयोग	299
29.	लोकायुक्त <ul style="list-style-type: none"> • लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार 	301
30.	स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्था	303
31.	भारत में लोकतान्त्रिक राजनीति	310
32.	गठबंधन सरकारें	314
33.	राष्ट्रीय एकीकरण	319
34.	सम्पूर्ण अनुच्छेद <ul style="list-style-type: none"> • वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया 	329

हरियाणा का भूगोल

अध्याय - 1

हरियाणा का उद्गम

शब्द की उत्पत्ति :- हरियाणा शब्द मूलतः हरयाणा से बना है, जिसका अर्थ है 'हरि आयन' अर्थात् परमात्मा का वास स्थान। कुछ विद्वानों ने हरियाणा शब्द का संबंध हरि अर्थात् भगवान इंद्र और राजा हरिश्चन्द्र से जोड़ा है।

- कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति ऐसे हुई की प्राचीनकाल में यह क्षेत्र जंगलों से घिरा था तथा यहाँ चोर - डाकू लोग गुजरने वाले लोगों का सामान हर लेते थे, इसी हरना से हरियाणा शब्द बना है।
- प्राणनाथ चोपड़ा के अनुसार हरियाणा का नाम, अभिरयाणा - अहिरयाणा से मिला। हरियाणा को ऋग्वेद में रज हरियाणे कहा गया है।
- कुछ विद्वान मानते हैं कि प्राचीन काल में इस प्रदेश को हरिधान्यक कहा जाता था, जो आते - आते हरियाणा बन गया। धरणीधर ने अपनी रचना अखंड प्रकाश में लिखा है कि यह शब्द 'हरिबंका' से लिया गया है।
- 1756-57 से पहले हरियाणा क्षेत्र मुगलों के अधीन था।
- 1756-57 में हरियाणा पर पूर्ण रूप से मराठों ने अधिकार कर लिया था।
- द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध (1803) - जनरल लेक के ऊपर उत्तरी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार की जिम्मेदारी थी। इसी निति के तहत जनरल लेक ने उत्तर भारत में अलीगढ़, दिल्ली, भरतपुर व आगरा के लासवाडी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया।
- मराठा सरदार दौलत राव सिधियाँ और जनरल लेक के मध्य लासवाडी आगरा में युद्ध हुआ, जिसमें मराठाओं की पराजय हुई। इस युद्ध के पश्चात मराठाओं ने अंग्रेजों के साथ सुर्जाअंजन गाँव की संधि की।
- सुर्जाअंजन गाँव की संधि (30 दिसम्बर 1803) के तहत अंग्रेजों ने हरियाणा क्षेत्र मराठाओं से छीनकर अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर दिया। अर्थात् 30 दिसम्बर 1803 को हरियाणा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गया।
- सन् 1809 - 10 में अंग्रेजों ने हरियाणा पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया।
- 1819 में अंग्रेजों ने हरियाणा का विभाजन तीन क्षेत्रों में कर दिया।
 1. उत्तरी क्षेत्र - पानीपत, सोनीपत, हाँसी, हिसार, रोहतक
 2. केन्द्रीय क्षेत्र - दिल्ली
 3. दक्षिणी क्षेत्र - गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूँह, हथीन, होडल, सोहना
- 1833 - 34 में ईस्ट इंडिया कंपनी "उत्तरी-पश्चिमी प्रांत" का गठन किया। आगरा को इस उत्तरी-पश्चिमी प्रांत की राजधानी बनाया गया। इस उत्तरी पश्चिमी प्रांत को छः डिविजनों में बाँटा गया था। जिनमें से एक दिल्ली डिविजन

- था। दिल्ली डिविजन के अंतर्गत पाँच जिले - पानीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम व दिल्ली शामिल थे।
- 1857 की क्रांति के समय हरियाणावासियों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया जिसके कारण 1858 के अधिनियम के तहत 1858 में हरियाणा का पंजाब विलय कर दिया गया।
 - 1892 -93 में पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में कथन पेश किया गया कि - "वस्तुतः हरियाणा और पंजाब वासियों में प्रत्येक क्षेत्र में अनेक भिन्नताएँ हैं"।

हरियाणा राज्य की अलग माँग :-


- सर्वप्रथम 1923 ई. में स्वामी सत्यानंद ने लाहौर से माँग उठाई की हरियाणा को पंजाब से अलग कर अलग राज्य के रूप में स्थापित किया जाये।
- दूसरी बार 1925 में हरियाणा पीरवादा मोहम्मद हुसैन ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में माँग उठाई की हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में शामिल किया जाये।
- 1928 ई. में सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली का आयोजन किया गया जिसमें हरियाणा को दिल्ली में शामिल करने को कहा गया।
- 1929 ई. में पेश की गई नेहरु रिपोर्ट में भी मोतीलाल नेहरु ने पंजाब से अलग कर हरियाणा को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई।
- 1932 ई. में दीनबन्धु गुप्त ने अलग से हरियाणा की माँग उठाई तथा इसका समर्थन, महात्मा गाँधी, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी छोटुराम व अरुणा आसफ अली ने किया।
- 1946 ई. में कांग्रेस ने तात्कालिक अध्यक्ष पट्टाभि सीतारमैया ने भी पंजाब से अलग कर हरियाणा की माँग उठाई।
- 1949 ई. में भारत स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ भागवत को बनाया गया।
- 1948 ई. में मास्टर तारा सिंह ने "अजीत" नामक पत्र के माध्यम से सिक्ख राज्य की माँग उठाई।

सच्यर फार्मूला :-

- 1949 ई. में पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री भीमसेन सच्यर बने इन्होंने सच्यर फार्मूला लागू किया (1 अक्टूबर 1949) जिसके तहत पंजाब का विभाजन हिन्दी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र के रूप में दो भागों में किया गया।

सच्यर फार्मूला

1 अक्टूबर 1949



- सच्यर फार्मूले को जनता ने नकार दिया।

राज्य पुनर्गठन आयोग / फजल अली आयोग 1953 :-

- राज्य के पुनर्गठन के लिए 1953 ई. में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जिसमें 3 सदस्य थे।

1. फजल अली अध्यक्ष
2. एच.एन. कुंजरू
3. एच.एम. पणिकर

फजल की अध्यक्षता में गठित होने के कारण इसे **फजल अली आयोग** भी कहा जाता है।

- राज्य पुनर्गठन अधिनियम रिपोर्ट 1956 - इसमें कहा गया था कि "अलग राज्य के गठन से भाषा संबंधित विवाद, समाप्त नहीं होगा और दोनों भाषाओं का "अहित होगा" इस कारण इस अधिनियम में हरियाणा की अलग माँग को अस्वीकार कर दिया।

क्षेत्रीय फार्मूला (24 जुलाई 1956)

पंजाब सरकार की सिफारिशों पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इस फार्मूले को 24 जुलाई 1956 को लागू किया। इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान किये गये।

1. इसके अंतर्गत पंजाब का विभाजन कर दो भागों में विभाजित किया -

(A) **हिन्दी क्षेत्र** - गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, करनाल, महेन्द्रगढ़ नखाना व जींद तहसील, नारायणगढ़, जगाधरी, शिमला, कांगडा क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किये गये।

(B) **पंजाबी क्षेत्र** - इसमें शेष पंजाब के हिस्से को शामिल किया गया।

2. क्षेत्रीय फार्मूला के तहत पंजाब को द्विभाषी राज्य घोषित कर दिया।
3. इसके तहत दोनों राज्यों की विधानसभा व गवर्नर एक ही होंगे।
4. दोनों क्षेत्रों के अल्पसंख्यकों को सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
5. सभी स्थानीय भाषाओं की उन्नति के लिए सहयोग का आश्वासन दिया गया।

- 1956 में प्रताप सिंह कैरों पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और 1957 में इन्होंने हरियाणा में पंजाबी को अनिवार्य रूप से लागू का दिया पंजाबी के अनिवार्य रूप से लागू होने का विरोध जनसंघ पार्टी और आर्य समाज ने किया।
- तथा क्षेत्रीय फार्मूले को भी खत्म कर दिया गया।

NOTE :-

1. फजल अली की अध्यक्षता में 1955 में हरियाणा में पहली बार सीमा आयोग का आगमन हुआ। सीमा आयोग पहली बार 1955 में रोहतक में आया था।
2. 1957 में हरियाणा में "हिन्दी सत्याग्रह आंदोलन" की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव रोहतक व हिसार में रहा।
3. 1957 में क्षेत्रीय फार्मूले को खारिज करने के पश्चात हरियाणा में हिन्दी क्षेत्रीय समिति गठित की गई।

- हिन्दी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष बलवंत राय तायल को बनाया गया।
- क्षेत्रीय फार्मूला रद्द होने के पश्चात 1960 में तारासिंह ने हरियाणा की अलग माँग के लिए आंदोलन शुरू किया। तब पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों ने तारासिंह को गिरफ्तार करवा कर जेल में डाल दिया।
- तारासिंह के जेल जाने के पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व फतेहसिंह (जनता दल के अध्यक्ष) ने किया।
- 1962 में भारत -चाइना युद्ध के कारण आंदोलन को स्थगित करना पड़ा।
- 1964 में प्रतापसिंह कैरों व नेहरु जी की मृत्यु हो गई।
- 1964 में इनकी मृत्यु के बाद फतेहसिंह ने दोबारा आंदोलन शुरू किया।
- 23 सितम्बर 1965 को भारत के गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने संसदीय समिति बनाने की घोषणा की।
- "संसदीय समिति" का गठन सरदार हुक्कम सिंह की अध्यक्षता में किया गया।
- 3 मार्च 1966 को देवीलाल ने "हरियाणा संघर्ष समिति" के द्वारा हरियाणा का जल्द से जल्द गठन करने की माँग की।

जे.सी. शाह आयोग / सीमा आयोग :-

हुक्कम सिंह की सिफारिशों पर 23 अप्रैल 1966 को जे.सी. शाह की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। इसमें 3 सदस्य शामिल थे।

1. जे.सी. शाह (अध्यक्ष)
2. एस के दत्त
3. एम एम फिलिप

NOTE :- एस के दत्त की सिफारिश पर ही खरड तहसील को पंजाब में शामिल किया गया।

- 31 मई 1966 को शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की।
- सीमा आयोग की सिफारिशों पर "पंजाब पुनर्गठन अधिनियम" के तहत 1 नवम्बर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

1. हरियाणा राज्य का गठन 1 नवम्बर 1966 को हुआ।
2. हरियाणा गठन के समय इसमें 7 जिले थे। इनमें से सबसे बड़ा जिला हिसार था। सबसे छोटा जिला जींद था।
3. हरियाणा गठन के समय भारत की प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी थी।
4. हरियाणा गठन के समय भारत के राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
5. हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा (बेरी झज्जर) को बनाया गया। भगवत दयाल शर्मा मध्यप्रदेश व उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे हैं।
6. हरियाणा का पहला राज्यपाल श्री धर्मवीर को बनाया गया।


सारांश

- 1756 -57 में हरियाणा मराठों के अधीन था ।
- 1803 में हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हुआ ।
- 1809 -10 में हरियाणा पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन हुआ ।
- 1819 में हरियाणा का विभाजन तीन भागों में किया गया ।
- 1833 -34 में इसे उत्तरी -पश्चिमी प्रांत में मिलाया गया था ।
- 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया ।
- 1892 - 93 में पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट पेश की गई ।
- 1923 में सर्वप्रथम स्वामी सत्यानंद ने अलग हरियाणा की माँग उठाई ।
- 1948 में तारासिंह ने अलग सिक्ख राज्य की माँग उठाई ।
- 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू हुआ ।
- 1953 में फजल अली आयोग (राज्य पुनर्गठन आयोग) का गठन हुआ ।
- 24 जुलाई 1956 में क्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ ।
- 23 सितम्बर 1956 को संसदीय समिति बनाने की घोषणा की गई ।
- 23 अप्रैल 1966 को जे.सी शाह आयोग (सीमा आयोग) का गठन हुआ ।
- 31 मई 1966 को शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की ।
- 1 नवम्बर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया ।


अध्याय - 2

हरियाणा : स्थिति और विस्तार

हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। इसके उत्तर - पूर्वी भाग में शिवालिक की पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में अरावली पहाड़ियाँ तथा मध्य में बड़े समतल मैदान हैं, जो भौगोलिक विविधता को प्रकट करते हैं।



चित्र - विश्व में हरियाणा की स्थिति



चित्र - भारत में हरियाणा की स्थिति

अध्याय - 4

अपवाह तंत्र एवं झीलें

अपवाह तंत्र - निश्चित वाहिकाओं (निश्चित मार्ग) के माध्यम से होने वाले जलीय प्रवाह को अपवाह तंत्र कहते हैं तथा इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं।

नदी बेसिन - नदियाँ जिस क्षेत्र में बहती हैं, उस क्षेत्र को वहाँ का अपवाह क्षेत्र या नदी बेसिन कहते हैं।

हरियाणा की नदियों का वर्णन वामन पुराण में मिलता है। इसमें 9 नदियों का वर्णन किया गया है। इसमें सरस्वती सबसे प्रमुख नदी है।

- हरियाणा राज्य की अधिकतम नदियाँ दक्षिण भागों में प्रवाहित होती हैं तथा कुछ राज्य की सीमाओं के पास बहती हैं।
- हरियाणा राज्य गंगा और सिंधु नदी तंत्र के मध्य जल विभाजक के रूप में स्थित है। हरियाणा में सिंचाई, यमुना, मारकण्डा, घग्घर आदि नदियों से होती है। पर हरियाणा में कोई भी बारहमासी नदी नहीं है।

अपवाह तंत्र का वर्गीकरण -

हरियाणा में 2 प्रकार के अपवाह तंत्र हैं -

1. उत्तरी अपवाह तंत्र
2. दक्षिणी अपवाह तंत्र

1. उत्तरी अपवाह तंत्र - उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियाँ हिमालय के शिवालिक व पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं। ये नदियाँ सदानीरा होती हैं।

- उत्तरी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ निम्नलिखित हैं
- 1. यमुना नदी** - यह नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह गढ़वाल, हिमालय की बंदरपूँछ चोटी पर यमुनोत्री नामक हिमनद से 6330 मीटर की ऊँचाई से निकलती है।
- यह हिमालय के नाग टिब्बा, मसूरी तथा शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से होती हुई, एक संकीर्ण गलियारे से होकर यमुनानगर जिले के कालेसर नामक स्थान के उत्तर में हरियाणा में प्रवेश करती है।
- कालेसर से दक्षिण की ओर लगभग 7 km बहते हुए एक गुम बेडिड नदी का रूप धारण कर लेती है।
- यह नदी दक्षिणायन से बहती हुई यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद जिलों की पूर्वी सीमा को छूकर बहती हुई हसनपुर नामक स्थान से हरियाणा की सीमा से दूर चली जाती है।
- यमुना नदी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के मध्य 328 km लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करती है।
- सन 1879 में तन्वेवाला नामक स्थान से पश्चिमी यमुना नहर निकली गई। जो आज भी यमुनानगर कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक, हिसार आदि जिलों को जल प्रदान करती है।

- यमुना की सहायक नदी सोम्बा तथा पथराला हिमाचल के सिरमौर जिले से निकली हैं।
- सोम्बा, पथराला तथा बूढ़ी यमुना नदी की 3 सहायक नदियाँ हैं।
- 2. सरस्वती नदी** - गंगा के बाद सरस्वती नदी सबसे अधिक प्राचीन और पूजनीय नदी मानी जाती है।
- यह नदी हरियाणा राज्य के यमुनानगर तथा हिमाचल के सिरमौर जिलों की सीमा पर शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और यमुनानगर जिले के आदिबट्टी नामक स्थान पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसी नदी के किनारे महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की थी। यह हरियाणा की 12 मास बहने वाली नदी है।
- सरस्वती नदी लोर, भवानीपुर, बाल छप्पर, खेड़ा पेहोवा तथा सिरसा आदि क्षेत्रों में बहती है।
- यह कुरुक्षेत्र, अम्बाला, और कैथल जिलों में प्रवाहित होने के बाद पंजाब राज्य के संगरूर जिले में घग्घर नदी में मिल जाती है।
- 3. घग्घर नदी** - यह शिवालिक श्रृंखलाओं से निकलने वाली तथा सतलुज यमुना नदियों के मैदानों से बहने वाली एकमात्र विशालतम बरसाती नदी है।
- यह नदी हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले में डागशाई नामक स्थान के निकट से निकलती है। जिसकी समुद्र तल से ऊँचाई 1927 मीटर है।
- दक्षिण से बहते हुए यह नदी हरियाणा तथा पंजाब राज्यों में प्रवेश करती है।
- हरियाणा में यह पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद तथा सिरसा जिले के क्षेत्रों में बहती है।
- हरियाणा राज्य में इसकी लम्बाई 291 km है।
- घग्घर की सहायक नदियाँ - झाझरा तथा कौशल्या इसकी मुख्य दो सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा अनेक छोटे - छोटे नाले जिन्हें 'चौ' कहते हैं। घग्घर नदी नैली नामक बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है।
- घग्घर नदी से पंजाब राज्य के फूलाद नामक स्थान से जोया नाम का एक नाला निकलता है जो फतेहाबाद तथा भटीण्डा से होता हुआ सिरसा जिले में पुनः घग्घर नदी में मिलता है। दक्षिण में घग्घर नदी से सुकर नामक एक अन्य नाला और निकलता है।
- 4. मारकण्डा नदी** - यह नदी हिमाचल प्रदेश की धरती-धर नामक पहाड़ियों के दक्षिणी ढाल से निकलती है और अम्बाला में काला अम्ब नामक स्थान पर हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। दक्षिण की ओर बहती हुई यह नदी पहेवा के निकट अरुणाय नामक गाँव के पास सनीसा नामक झील में सरस्वती नदी में मिल जाती है।
- इस नदी की 3 सहायक नदियाँ हैं - रण, बेगना तथा नकटी।

अध्याय - 7


मृदा संसाधन

- मृदा शब्द लेटिन भाषा के "सोलम" से उत्पन्न हुआ है। सोलम का अर्थ फर्श होता है।
- मृदा - भू-पटल के ऊपर पाये जाने वाले असंगठित कणों को मृदा कहते हैं जबकि संगठित कण चट्टान कहलाते हैं।
- मृदा निर्माण की प्रक्रिया "पेडोजिनेसिस" कहलाती है।
- मृदा का अध्ययन "पेडोलोजी" कहलाता है।

हरियाणा में मृदा का वर्गीकरण

भौतिक व रासायनिक गुणधर्म के आधार पर	धरातलीय बनावट के आधार पर
अत्यंत हल्की मृदा	पहाड़ी क्षेत्रों की मृदा
हल्की मृदा	मैदानी क्षेत्र की मृदा
मध्यम मृदा	रेतीली मृदा
सामान्य भारी मृदा	
बहुत भारी मृदा	
गिरिपाटीय मृदा	

मानचित्र
मृदा वर्गीकरण



1. अत्यंत हल्की मिट्टी -

- यह मिट्टी बालू का प्रधान दोमट मिट्टी है। यह मिट्टी दक्षिण हरियाणा के जिलों में जैसे, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और सिरसा के दक्षिणी भाग में मिलती है।
- इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। और यह बहुत जल्दी सूख जाती है।
- इस मिट्टी में चूने के अंशों का बाहुल्य रखता है।
- इस मिट्टी में ऐसी फसलें बोई जाती हैं जिन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है, जैसे - चना, बाजरा आदि।
- सरकार इन क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत से प्रयास कर रही है।

2. हल्की मिट्टी

- यह मिट्टी 2 प्रकार की मिट्टियों दोमट मिट्टी और बालू दोमट मिट्टी का ही प्रकार है।
- हल्की मिट्टी को सैंसली मिट्टी भी कहते हैं।
- इस मिट्टी में सिल्ट तथा मृत्तिका की अपेक्षा बालू अधिक मात्रा में होता है। इस मृदा में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। सिंचाई के माध्यम से इस मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। इस मिट्टी में हल चलाना भी आसान होता है। यह मिट्टी नरम प्रवृत्ति की होती है। यह मिट्टी हरियाणा राज्य के हिसार, भिवानी रेवाड़ी, गुरुग्राम तथा झज्जर जिले में मिलती है। यह शुष्क भूमि कृषि के लिए उपयोगी मानी जाती है।

3. मध्यम मिट्टियाँ - मध्यम मिट्टियों में मोटी दोमट, हल्की दोमट और सामान्य दोमट मिट्टियाँ सम्मिलित हैं। यह मृदा अन्य मृदाओं की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है।

1. **मोटी (भारी) दोमट मिट्टी** - इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं। यह मिट्टी मेवात (नूँह) जिले के मध्य क्षेत्र, पश्चिम फिरोजपुर और सिरसा के निचले क्षेत्रों में पाई जाती है।
2. **हल्की दोमट मिट्टी** - यह मिट्टी मुख्यतः गुरुग्राम के उत्तरी भाग में, दक्षिणी - पश्चिमी अम्बाला तथा नूँह जिले के उत्तरी पश्चिम भाग में पाई जाती है।
3. **सामान्य दोमट मिट्टी** - यह मिट्टी हरियाणा के मध्य-वर्ती भाग में मुख्यतः सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कैथल, गुरुग्राम, फरीदाबाद जिलों में पाई जाती है।
 - यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। जिसमें गेहूँ, ज्वार, गन्ने, कपास का उत्पादन किया जाता है।
4. **सामान्य भारी मिट्टी** - इस मिट्टी को खादर मिट्टी भी कहते हैं।
 - यह मिट्टी सिल्ट युक्त होती है। यह कम जल को सोखती है तथा जल सोखने पर कठोर हो जाती है।
 - यह मिट्टी मुख्यतः यमुना नदी के साथ वाले जिलों में जैसे - यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। ऊँचे भागों पर इस मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है।

5. भारी मिट्टी - इस मिट्टी को 'डार्क' भी कहा जाता है।

- इस मिट्टी में चीका युक्त सिल्ट की प्रधानता होती है। यह मिट्टी बारिश ऋतु में चिपचिपी तथा शुष्क मौसम में कठोर हो जाती है।
- यह मिट्टी मुख्यतः थानेसर, फतेहाबाद और जगाधरी के क्षेत्रों में पाई जाती है।
- इस मिट्टी की उर्वरकता को जैविक और रासायनिक खादों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसमें चना, जौ, गेहूँ और चावल की फसल अच्छी होती है।

6. शिवालिक गिरिपादीय अथवा चट्टानी तल की मिट्टियाँ

शिवालिक गिरिपादीय मिट्टी में चीका, बालू, बजरी तथा अन्य तत्वों की मात्रा अधिक होती है।

- इस मिट्टी को स्थानीय तौर पर - घाहर या कंडी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है।
- यह मिट्टी पंचकुला की कालका, अम्बाला की नारायणगढ़ और यमुनानगर की जगाधारी क्षेत्रों में पाई जाती है।
- हरियाणा के दक्षिणी भाग में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों के कारण पथरीली और रेतीली, चट्टानी तल की मिट्टी पाई जाती है। यही निम्न कोटी की मिट्टी समझी जाती है। यह कम उपजाऊ मिट्टी होती है।

धरातलीय बनावट के आधार पर - हरियाणा प्रदेश का अधिकतर भाग मैदानी है तथा कृषि की उपज मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर है। राज्य में पहाड़ी क्षेत्र सीमित है और मैदानों की मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारी किस्म की है। धरातलीय बनावट के आधार पर हरियाणा की भूमि को निम्नलिखित 3 भागों में बाँटा गया है -

1. पहाड़ी क्षेत्र की मृदा
2. मैदानी क्षेत्र की मृदा
3. रेतीली मिट्टी का क्षेत्र

1. पहाड़ी क्षेत्र की पथरीली मिट्टी - उत्तर हरियाणा में इस प्रकार की मिट्टी मोरनी की पहाड़ियों पर पाई जाती है।

- दक्षिणी भाग में अरावली की पहाड़ियों में - पथरीली और रेतीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं।
- इस प्रकार की मिट्टी को हर क्षेत्र में अलग नाम से जाना जाता है। यमुनानगर में इसे कंडी मिट्टी के नाम से जाना जाता है।

2. मैदानी क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी - मैदानी भाग की मिट्टी जलोढ़ है, जिसका रंग भूरा पीला है।

- हरियाणा का उपजाऊ क्षेत्र भी इसी मैदानी भाग को माना जाता है।
- यह चिकनी मिट्टी तथा रेत के बारीक मिश्रण से बनी उपजाऊ मिट्टी है जो रबी तथा खरीफ दोनों प्रकार की फसलों के लिए उपयोगी है।
- इस क्षेत्र में प्रमुख - गेहूँ, धान, ईख और कपास फसले प्रमुख हैं।

- इस क्षेत्र की मृदा को स्थानीय रूप से कंकर्स भी कहते हैं।

3. रेतीली मिट्टी का क्षेत्र - हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाती है।

- इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा है।
- इसे कृषि के लिए अधिक उपजाऊ नहीं माना जाता है। यहाँ मुख्यतः मोटे अनाजों की खेती करना उपयुक्त है।
- यहाँ की जलोढ़ बालू से ढकी होती है, जिसके कारण यह क्षेत्र शुष्क और रेतीला रेगिस्तान की तरह है।

हरियाणा में मृदा अपरदन -: मृदा अपरदन को कृषि का निर्दयी शत्रु "कहते हैं।

हरियाणा में मृदा अपरदन दो तरीके से होता है जो निम्न प्रकार हैं-

1. वायु अपरदन - वायु द्वारा मृदा का अपरदन दक्षिणी - पश्चिमी क्षेत्र में होता है, वायु अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं।

2. जलीय अपरदन - जलीय अपरदन हरियाणा के उतरी - पूर्वी क्षेत्रों में होता है।

- **हरियाणा में लवणीय व क्षारीय मृदा -** हरियाणा का 33 % हिस्सा लवणीय व क्षारीय मृदा की समस्या से ग्रसित है। जहाँ सर्वाधिक सिंचाई होती है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। जैसे - सिरसा, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, फतेहाबाद, पानीपत आदि।
- इस प्रकार के उपचार के लिए बरसोम,जो, गन्ना, कपास आदि की फसल बोयी जाती है।

- लवणीय मिट्टी के उपचार के लिए रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है।

- क्षारीय मिट्टी के उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है।

- अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य -:

- केन्द्रीय लवणीय मृदा अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है।

- लाल क्लोवर, स्वीट क्लोवर, तिपतिया, अल्फा -अल्फा ये सभी घास के प्रकार हैं।

- इन सभी घासों को मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए उगाया जाता है।

मृदा	विस्तृत क्षेत्र
हरियाणा में लाल मृदा	-सिरसा
चिकनी मिट्टी	- रोहतक में
अलग -अलग प्रकार की मृदा	- यमुनानगर में
लोह युक्त चिका मृदा	-जगाधरी में
सोलर युक्त चिका मृदा	-थानेसर व फतेहाबाद में

1. राष्ट्रीय राजमार्ग

2. राजकीय राजमार्ग

3. मुख्य जिला सड़कें व अन्य जिला सड़कें।

1. **राष्ट्रीय राजमार्ग** - यह केंद्रीय सरकार द्वारा संस्थापित और संभाले जानीवाली लम्बी दूरी की सड़कें हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण के नवंबर 2018 तक के आंकड़े के अनुसार, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 3,097 km है।

- हरियाणा में 33 राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) का नेटवर्क है जिसकी कुल लम्बाई 248 km है इसके साथ ही 8 एक्सप्रेसवे और, 3 राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे हैं हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाइवे NH15A जो 6 km लम्बा है।

हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाइवे NH-9 है जो 286 km है। (इसका पहले नाम NH -10 था) यह दिल्ली से बहादुरगढ़, रोहतक, हिसार, होते हुए सिरसा हरियाणा तक जाता है आगे भी यह NH काफी लम्बा है जो पंजाब से होते हुए पाकिस्तान तक जाता है।

- हरियाणा में सबसे अधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH - 9 है जो 6 जिलों से गुजरता है।

राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची

राष्ट्रीय राजमार्ग	प्रमुख शहर	लम्बाई (km)
NH-5	अंबाला- पंचकुला - पिंजौर	28.3 km
NH -7	पंचकुला रायपुर रानी- धनान हिमाचल प्रदेश	39.5 km
NH - 9	बहादुरगढ़- रोहतक - हाँसी - हिसार - सिरसा	286 km
NH - 11	नारनौल - रेवाड़ी	88 km
NH - 44	अम्बाला-पिपली - करनाल - सोनीपत - मुरथल	275.8km
NH - 48	गुरुग्राम - धारुहेडा	83.3 km
NH - 52	हिसार	143.2km
NH - 54	देबली	38.5 km
NH - 105	पिंजौर	17.5 km
NH-148A	गुरुग्राम	6 km
NH- 152	कैथल -अम्बाला - पंचकुला	122 km
NH-248A	शाहपुर - अलवल - रामगढ़	111 km
NH- 254	देबली	47 km
NH-334B	सोनीपत- कुरुक्षेत्र -झज्जर - चरखी दादरी - लोहास	180 km
NH- 344	अम्बाला - यमुनानगर	109.4 km

NH- 352	जींद - रोहतक - रेवाड़ी	186.1 km
NH-444A	अम्बाला - शाहबाद	44
NH- 703	सिरसा	15
NH- 709	रोहतक- पानीपत - भिवानी	188.3
NH- 907	यमुनानगर-जगाधरी-छछरौली	45.9
NH - 919	रेवाड़ी - पलवल	28.3 km

राजकीय राजमार्ग - राजकीय राजमार्ग राज्य कके कस्बों, जिला मुख्यालयों, महत्वपूर्ण स्थलों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े क्षेत्रों के साथ जोड़ता है। इन राजमार्गों की देखभाल राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। हरियाणा में राजकीय राजमार्ग (SH) की कुल लम्बाई 1,801 km है। राज्य का सबसे बड़ा राजमार्ग SH - 12 है जिसकी लम्बाई 192.32 km है। राज्य का सबसे छोटा राज्य राजमार्ग SH - 6 (A) है जिसकी लम्बाई 3.70 km है।

राज्य के प्रमुख राजकीय राजमार्ग -

राज्य के प्रमुख राजकीय राजमार्ग -		
राजकीय	क्षेत्र	लम्बाई km
SH- 1	जगाधरी-बिलासपुर-सादौरायपुर	63.90
SH-2	सूरेवाला - चौक - फतेहाबाद	50.01
SH-4	कालाअंब - सदाँरा - शाहाबाद	75.50
SH- 5	साहा - अंबाला	-
SH-6	सहारनपुर - रादौरा - पिपली - पेहोवा	103.64
SH-7	करनाल - लाडवा - शाहाबाद	59.25
SH-8	कंजपुरा- करनाल - कैथल - खानौरा	95.85
SH-9	करनाल - कच्छवा - पेहोवा - पटियाला	60.25
SH-10	गोहाना - जींद - बरवाला - आग्रहा - भाद्रा	134.78
SH-12	करनाल -जींद -हाँसी - तोशाम	192.78
SH-	पानीपत - सफीदो - जींद	129.32
SH-22	बहादुरगढ़ - झज्जर- कोशी	77.6
SH-24	रेवाड़ी-कनीना-महेंद्रगढ़- लोदीरु	92.45
SH- 32	सिरसा - रनियाँ - जीवनगर	70.43
SH- 33	नीलेखेड़ी - दान्दरोड़	28.64

मुख्य जिला सड़कें व अन्य जिला सड़कें -

वे सड़कें जो जिले के प्रमुख नगरों, अनुमंडल तथा कुत्पादन केंद्रों, मंडियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ती हैं जिला सड़कें कहलाती हैं। इनकी देखभाल की जिम्मेदारी स्थानीय नगर निगम एवं पंचायती राज संस्थाओं की होती हैं। 2019 - 20 के सर्वे के अनुसार राज्य में इन सड़कों की लम्बाई 22,311 km है।

परिवाहन विभाग, हरियाणा - राज्य के सभी जिलों में क्षेत्रीय परिवाहन कार्यालय स्थित हैं। प्रारम्भ में राज्य के परिवाहन निगम में सरकारी तथा निजी कम्पनियों की भागीदारी 50-50% थी परन्तु राज्य ने वर्ष 1972 में परिवहन विभाग का राष्ट्रीयकरण करके इसे सरकारी विभाग में परिवर्तित किया।

हरियाणा परिवहन विभाग कि मुख्य योजनाएँ

1. स्वच्छ भारत अभियान - राज्य सरकार वर्तमान में इको फ्रेंडली बस अड्डों का निर्माण कर रही है बस वा रहे हैं। बस अड्डों की सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है।
 2. हरियाणा गौरव - इस योजना के तहत कम किराए में एक आम आदमी को परिवहन निगम अच्छी सुविधाएँ बस में उपलब्ध करवाएगा जैसा बस में F. M रेडियो, फोन चार्जर, आटोमैटिक दरवाजे, खिड़कियों पर पर्दे इत्यादि।
 3. हरियाणा उदय - इसमें C.N. G वाली बसों को बढ़ावा देकर राज्य में स्वच्छता को बनाए रखना और प्रदूषण को कम करना एक उद्देश्य है। इस सेवा के अंतर्गत कुछ जिलों जैसे पंचकुला, गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद आदि में लो फ्लोर सिटी बस सेवा का परिचालन किया जा रहा है।
 4. सारथी - इस योजना में A.C बस सेवाओं को शुरू किया गया है और उसका उद्देश्य यात्रियों को विश्वस्तर पर बस सेवा कराना है।
- वर्तमान में राज्य में अनेक मार्गों पर सरथी बसों का संचालन किया जा रहा है। दिल्ली, चंडीगढ़ गुरुग्राम मार्ग पर भी यह बस सेवा प्रारम्भ कि गई है

● हरियाणा के प्रमुख एक्सप्रेस - वे

एक्सप्रेस वे 6 या 8 लेन के नियंत्रित - प्रवेश राजमार्ग हैं जहाँ प्रवेश और निकास छोटी सड़कों के उपयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

हरियाणा में 8 एक्सप्रेस वे और 3 राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे हैं।

1. द्वारका एक्सप्रेस वे - द्वारका एक्सप्रेस वे उत्तरी परिधीय सड़क नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली के द्वारका उपनगर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला 8 लेन का एक मार्ग है जिसे द्वारका एक्सप्रेस वे कहते हैं। इसकी कुल लम्बाई 28 km (17 मील) है जिसमें हरियाणा 18 km में तथा दिल्ली 10 km में है। इस वे हिस्सा महिलापुर के समीप शिव मूर्ति से प्रारम्भ होता है और इंदिरा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र के साथ - साथ होते हुए द्वारका के पास स्थित रेलवे अन्डर ब्रिज पर समाप्त हो जाता है। यह प्रथम चरण कि परियोजना

है। बाकी चरणों का काम अभी वाले समय में हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा (32 लेन का) दिल्ली - गुरुग्राम - एक्सप्रेस - वे पर ही स्थित है।

2. पानीपत एक्सप्रेस वे - इस एक्सप्रेस वे का निर्माण दिल्ली तथा पानीपत के बीच किया गया है। इसकी कुल लम्बाई 10 km है। इसका निर्माण लार्सन एवं टर्बो कम्पनी द्वारा किया गया है।
3. KMP एक्सप्रेस वे (कुण्डली - मानेसर - पलवल) इसे वेस्टन पेरिफेरल एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। KMP एक्सप्रेस वे की कुल लम्बाई 135.6 km है।
 - KMP एक्सप्रेस वे पर हल्के वाहनों की अधिकतम गतिसीमा 120 km / h है। जबकि भारी वाहनों के लिए 100 km / h है। यह एक्सप्रेस वे हरियाणा राज्य के सोनीपत में कुण्डली से शुरू होकर दिल्ली की परिधि में चक्कर लगते हुए खरखौदा, बहादुरगढ़, पटौदी, मानेसर और पलवल में समाप्त हो जाता है।
4. KGP कुण्डली - गाजियाबाद - पलवल एक्सप्रेस वे - इसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्सप्रेस वे कुण्डली सोनीपत से उत्तर प्रदेश के बागपत, गाजियाबाद और नोएडा से गुजरता है। यह 6 लेन का एक्सप्रेस वे है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों से गुजर रहा है।

हरियाणा राज्य में रेल परिवहन - हरियाणा 1 नवंबर 1966 को राज्य बना उस समय हरियाणा में रेल की कुल लम्बाई 32.45 km थी।

- लेकिन हरियाणा में पहले ट्रेन 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी आई थी जिसकी दूरी 82 km थी। यह दुनिया की सबसे पहली कमर्शियल रेलगाड़ी थी।
- वर्तमान में राज्य में रेलवे लाइन की कुल लम्बाई 4439 km तथा छोटी लाइन की लम्बाई 260.85 km है और बड़ी लाइन की लम्बाई 4178.31 km है।
- भारत की पहली CNG ट्रेन 13 जनवरी 2015 को चलाई गई थी जो रोहतक से रेवाड़ी के मध्य चलाई गई थी। राज्य के फिरोज मण्डल के अन्तर्गत 164.31km तथा अम्बाला मण्डल के अन्तर्गत 96.54 km रेलवे की छोटी लाइन है।
- हरियाणा का सबसे ज्यादा भीड़ वाला रेलवे जंक्शन अम्बाला जिला है। जबकि हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी है।
- हरियाणा के मेवात में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है।
- हरियाणा राज्य की पहली मेट्रो 21 जून 2010 में दिल्ली के कुतुबमीनार से गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर तक चलाई गई थी।

हरियाणा राज्य के प्रमुख रेल मार्ग

1. दिल्ली - रेवाड़ी - अलवर रेलमार्ग - यह राज्य का सबसे प्राचीनतम रेलमार्ग है जो दक्षिण हरियाणा से होकर गुजरता

इस वंश के प्रमुख शासक इस प्रकार हैं -

- a. प्रभाकरवर्धन** - आदित्य वर्धन का बेटा प्रभाकर वर्धन शासक बना।
प्रारम्भिक व्यक्ति राज्यों के साथ लगी 'महाराजा' की उपाधि से ज्ञात होता है कि इस वंश का प्रथम शासक प्रभाकर वर्धन ही था।
- ऐसे उनकी उपाधियों 'परमभट्टारक' तथा 'महाराजाधिराज' से ज्ञात होता है।
 - प्रभाकर वर्धन शक्तिशाली शासक था।
 - बाणभट्ट के अनुसार यह अनेक युद्धों का विजेता था।
 - डॉ. R.S त्रिपाठी के अनुसार प्रभाकर वर्धन का राज्य उत्तर में पंजाब लेकर दक्षिण में मरु प्रदेश हरियाणा तक फैला था।
 - प्रभाकर वर्धन में हूण शासकों को पराजित कर लाट, मालव, सिंध तथा गंधार जैसे राज्यों पर विजय की प्राप्त की थी। यह वर्धन वंश की पूर्ण स्वतंत्रता का जन्मदाता था।
 - 604 ई. में प्रभाकरवर्धन ने अपने पुत्र राज्यवर्धन को हूणों को दबाने के लिए भेजा। जब राज्य वर्धन हूणों का दमन करके वापस लौटा तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी थी।
- b. राज्यवर्धन** - यह प्रभाकरवर्धन और महारानी यशोमाती का व्यष्ट पुत्र था।
जब वह हूणों का दमन करके वापस आया तो पिता की मृत्यु और माता सती हो चुकी थी। उसने राजगद्दी पर न बैठने का फैसला लिया।
- हर्ष और दरबारियों के कहने पर राज गद्दी संभाली
 - मालवा के राजा ने उसके बहनोई की हत्या कर दी तथा बहन को बन्दी बना लिया।
 - तभी सेना लेकर राज्यवर्धन मालवा पर आक्रमण कर दिया और देवगुप्त को पराजित किया।
 - लेकिन मालवा के शासक के मित्र, व बगाल के शासक शशांक ने राज्यवर्धन को अपनी पुत्री से विवाह करने का बुलावा देकर धीरे से भोजन करते समय मार डाला।
- हर्षवर्धन (606 ई.से 647 ई.)**
- राज्यवर्धन के मृत्यु के समय हर्षवर्धन केवल 16 वर्ष का था और वह शासक बना।
 - हर्ष का विधिवत राज्यभिषेक 612 ई. में हुआ, जब इसने राजपुत्री की उपाधि और शीलदित्य उपनाम धारण - करने कन्नौज की गद्दी प्राप्त की थी। हर्षवर्धन ने 636 ई. में कन्नौज को वर्धन की दूसरी राजधानी बनाया था।
 - हर्षवर्धन बचपन से ही कुशाग्रबुद्धि का था। उसने अपने भाई की हत्या का बदला लेने का निश्चय किया। उसने असम के राजा भास्कर वर्मा से अच्छे सम्बन्ध बनाकर बंगाल के राजा शशांक पर आक्रमण किया। शशांक बुरी तरह से पराजित हुआ और शशांक ने भागकर उड़ीसा में शरण ली। हर्ष ने उनके प्रदेशों पर अधिकार कर लिया।

- चीनी यात्री ह्वेन सांग के विवरण से पता चलता है कि हर्ष 6 वर्ष के निरंतर युद्ध के पश्चात् पंचभारतों विजय की।
- गौरी शंकर चटर्जी - डॉ. मुखर्जी तथा डॉ. त्रिपाठी आदि विद्वानों ने पंचभारतों का अर्थ सरस्वत (पंजाब), कन्याकुंज, गौड़, मिथिया तथा उत्कल (उड़ीसा) के प्रदेशों से लगाया है। हर्ष ने अंतिम आक्रमण पूर्वी तट पर गंगाम पर किया था, जिसे इसने पराजित कर थानेश्वर में मिला दिया।
 - हर्ष कि मृत्यु 647 ई. पूर्व में हुई थी। हर्ष कि मृत्यु के पश्चात् हरियाणा क्षेत्र पर गुर्जर - प्रतिहारों ने राज्य किया।
 - हर्षकालीन ताम्र मुद्राएँ तथा इण्डो ग्रीक बैक्टिरियो के दिहरम हरियाणा के सोनीपत से प्राप्त हुए हैं।
- **गुर्जर - प्रतिहार काल**
हर्षवर्धन कि मृत्यु के पश्चात् उसका विशाल साम्राज्य छिन्न - भिन्न हो गया।
- प्रतिहारों कि उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों ने इनहें विदेशी माना है तो कुछ भारतीय बताते हैं।
 - कर्नल टाड का मानना है कि जो आक्रमणकारी विदेशों से आए, वह यहीं पर बस कर रहे गए और प्रतिहार उन्हीं कि संतान हैं।
 - लेकिन C.V वैद्य, गौरीशंकर औझा तथा डॉ. दशरथ शर्मा का मानना है कि ये विशुद्ध भारतीय थे। इन्हें वह सूर्यवंशी व चंद्रवंशी क्षत्रियों की संतान मानते हैं।
 - हरियाणा के सिरसा जिले के जोधका नामक स्थान से प्राप्त एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि प्रतिहारों का हरियाणा में आधिपत्य स्थापित था। प्रतिहार शासक वत्स राज ने गल्ल नाम के तोमर सरदार को यहाँ विशेष प्रशासक बनाया था। परन्तु राष्ट्रकूट शासकों के बढ़ते प्रभाव के समक्ष वत्सराज अधिक दिनों तक सत्ता में नहीं रहा, उसे सत्ता से निष्कर्षित कर दिया था।
 - वत्सराज के निष्कासन के बाद तोमर शासकों को अपने शक्ति बढ़ाने का अवसर मिला, परन्तु तोमर अधिक समय तक अपनी शक्ति को स्थापित रखने में सफल नहीं हो पाए। पालवंश के शासक धर्मपाल ने उन्हें पराजित कर अपने अधीन कर लिया।
 - प्रतिहारों की तीन शाखाएँ थीं - 1} नांदीपुर की शाखा। 2} भडव्यपुर भेदंतक कि शाखा। 3} उज्जैन की शाखा। इनमें सबसे शक्तिशाली उज्जैन की शाखा थी।
 - इनका अधिकार गुजरात, राजस्थान तथा उत्तरप्रदेश के बहुत बड़े भाग पर था। इसी तीसरी शाखा के ही एक प्रतापी शासक नागभट्ट ने हरियाणा को अपने अधीन कर लिया था। वह वत्सराज का पुत्र था।
 - 805 ई. में गद्दी पर बैठा और 833 ई. तक शासन किया। नागभट्ट ने पवित्र गंगा में जल समाधि लेकर 833 ई. में अपने प्राण त्याग दिए थे।

- **रामभद्र** - नागभद्र के बाद उसका पुत्र रामभद्र गद्दी पर बैठा। वह निर्बल शासक था। उसके राज्यकाल में प्रतिहार राजा के कई भाग स्वतंत्र हो गए।
- बाणभद्र चरित के अनुसार रामभद्र के पुत्र भोज ने उसकी हत्या करके सिंहासन पर अधिकार किया था।
- **मिहिर भोज** - रामभद्र के बाद में मिहिरभोज ने गुर्जर प्रतिहार राज्य की बागडोर संभाली। उसने सिक्कों पर अपनी उपाधि 'आदिविराह' उत्कीर्ण करवाई यह प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक को माना जाता है। मिहिरभोज के शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुआ तथा वह पेहोवा एक व्यापारिक केन्द्र के रूप में स्थापित हुआ। मिहिरभोज कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। मिहिर भोज ने 836 ई.- 885 ई. तक शासन किया। 885 ई. में निधन के बाद मिहिरभोज का पुत्र महेंद्रपाल शासक बना, परन्तु वह पिता की तरह योग्य सिद्ध नहीं हुआ।
- पेहोवा से प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि महेंद्रपाल के शासकों के दौरान हरियाणा का एक विस्तृत क्षेत्र उसकी अधिपत्य से बाहर निकाल चुका था। इससे यह भी ज्ञात होता है कि जौल (जाऊल) नामक एक तोमर सरदार ने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। जौल ज्येष्ठ पुत्र वज्रट भी अपने पिता की तरह वीर और पराक्रमी था।
- उसके नेतृत्व में हरियाणा में शान्ति व्यवस्था कायम रही। वज्रट का पुत्र जञ्जुक भी एक योग्य सरदार था। वह परिस्थितियों का समझता था।
- 910 ई. में महेंद्रपाल के निधन के बाद राजनैतिक अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो गया, इसी परिस्थिति का लाभ उठाते हुए, जञ्जुक के तीनों पुत्र गोगा, पूर्णराज्य एवं देवराज ने हरियाणा के सजीपवर्ती क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर स्वतंत्र रूप से तोमर शासन की नींव रखी। राजेश्वर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे।

हरियाणा और तोमर वंश

- पूर्व मध्यकाल के इतिहास में तोमारों का महत्वपूर्ण स्थान है।
- 17 वीं सदी के कवि के अनुसार राजपूतों के केवल 3 कुल ही महत्वपूर्ण रह गए थे।
- चौहान, तोमर और पंवार।
- शेष सभी कुल के समान माने गए थे।
- तोमारों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है कोई इन्हें विदेशी आक्रमणकारीयो कीस्तान बताता है तो कोई आर्यों की।
- मुगलकालीन इतिहासकार खड़गाराम के अनुसार तोमर वंश के शासक सोमवंशी क्षत्रिय थे। 1631 ई. के शीलालेख में तोमर को सोमवंशी क्षत्रिय एवं पांडवों का वंशज माना गया है।
- पेहोवा शीलालेखों से पता चलता है कि हरियाणा में तोमर वंश का उदय जौल (जाऊल) नामक सरदार के द्वारा हुआ। इसी शीलालेख से यह भी ज्ञात होता है कि जौल एक

स्वतंत्र शासक नहीं था, वह तोमर शासक कि पाँचवी पीढ़ी से पैदा हुआ था। अनंगपाल ने ही तोमर राज्य की नींव रखी थी। जिसकी राजधानी ढील्लिका (दिल्ली) थी।

- ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि जौल प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार कर अपनी मुद्राएँ चलवाई।
- जौल के बाद आपृच्छदेव तोमर वंश का शासक बना। जिसने तोमरों को बहुत समय पश्चात पूर्ण सत्ता प्रदान की।
- आपृच्छदेव के बाद उसका उत्तराधिकारी पीपलराज देव हुआ। पीपलदेव एक स्वतंत्र शासक था। पीपल राजा कि मुद्राएँ भी मिलती हैं जो उसके स्वतंत्र शासक होने का परिणाम प्रस्तुत करती हैं।
- पीपल राजदेव के पश्चात तीन अन्य राजाओं - रघुपाल, विल्हणपाल और गोपाल का उल्लेख मिलता है। इन राजाओं की कोई प्रचलित मुद्राएँ नहीं मिलती, जो यह सिद्ध करती हैं कि यह स्वतंत्र शासक नहीं थे।

चौहान एवं तोमर शासकों के मध्य संघर्ष

- हर्षनाथ के शीलालेख से यह जानकारी मिलती है कि तोमरों की कमजोर स्थिति और राजनैतिक आस्थिरता के मध्य चौहान एवं तोमरों के मध्य संघर्ष हुए।
- इसी शीलालेख से पीपलराज देव और विल्हण पाल के साथ शाकम्भरी के चौहान शासकों के संघर्ष होने के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें तोमर शासकों की हार हो गई थी। तोमर शासक पीपल राज को उनके समकालीन चौहान शासक चन्दन पराजित किया था।
- पीपलराज के उत्तराधिकारी रघुपाल व विल्हण भी चौहान शासकों से पराजित हुए। विल्हणपाल के पुत्र गोपाल ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चौहान शासक से सिंहपाल से युद्ध किया, परन्तु वह हार गया।
- गोपाल के बाद उत्तराधिकारी सुलक्षणपाल बना। सुलक्षणपाल ने अपने शासनकाल में नई मुद्रा प्रचलित करवाई।
- इससे सिद्ध होता है कि वह एक स्वतंत्र राजा था।
- सुलक्षणपाल के बाद उत्तराधिकारी बना।
- इस बीच भारत में तुर्कों का आक्रमण होना आरंभ हो गया। ऐसा माना जाता है कि तुर्क आक्रमण का संयुक्त रूप से सामना करने हेतु चौहान और तोमर शासकों में संधि कर ली।

● राज्य के नगरों के प्राचीन नाम

प्राचीन नाम	वर्तमान नाम
1. असन्धिवत	असन्ध
2. नरराष्ट्र	नारनौल
3. कलकूट	कालका
4. युगन्धर	जगाधरी
5. स्थाण्वीश्वर	थानेश्वर

आधुनिक इतिहास

अध्याय - 3

आधुनिक इतिहास

• ईस्ट इण्डिया कम्पनी का हरियाणा क्षेत्र में आगमन

जॉर्ज थॉमस की मृत्यु के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी हरियाणा क्षेत्र की ओर बढ़ी। ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक व्यापारिक कम्पनी के रूप में भारत आई, लेकिन यहाँ राजनीतिक अराजकता का लाभ उठाकर शीघ्र ही यह राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 30 दिसम्बर 1803 को दौलतराव सिंधिया के क्षेत्रों को और हरियाणा को प्राप्त कर लिया।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का हरियाणा क्षेत्र में प्रशासन -

- हरियाणा पर अधिकार स्थापित करने के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इसे बंगाल में शामिल करके इसके कुछ क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया तथा कुछ क्षेत्रों को हरियाणा के राजाओं को सौंप दिया।
- फर्रुखानगर के नबाब इसे खाँ तथा बल्लभगढ़ के नरेश हीरासिंह को उनकी पुरानी जागीरें दी गईं।
- फैज तलब खाँ को पटौदीका पूरगना, अहमद बख्श खाँ को लौहास तथा फिरोजपुर - झिरका के परगने और राज तेजसिंह को रेवाड़ी परगना में इस्तेमरारी जागीर के 87 गाँव दिए गए।
- इसके अतिरिक्त आर्थिक तथा सामाजिक रूप से हरियाणा के शोषण की नीति चलती रही।
- मुर्तजा खाँ को होडल का परगना तथा मुहम्मद अली को पलवल का परगना दिया गया।
- रोहतक, बेरी, हिसार, हाँसी, जमालपुर और तोशाम परगना बम्बू खाँ को दिया।
- बम्बू खाँ को विद्रोह का सामना करना पड़ा तथा बम्बू खाँ ने ये परगने अहमद बख्श को दे दिए, परन्तु जन विद्रोह के कारण इसे जागीर छोड़नी पड़ी।
- जब जन विद्रोह शान्त नहीं हुए तो सब परगनों की जिम्मेदारी नबाव मुहम्मद अली खाँ को सौंप दी गई।
- उत्तरी हरियाणा में स्थित लाडवा के शासक गुरुदत्त सिंह और थानेसर के शासक भंगा सिंह ने सिख शासकों का संघ बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया।
- ब्रिटिश कमाण्डर कर्नल बर्न और सिखों के बीच काफी संघर्ष चला। 20 अप्रैल 180 को गुरुदत्त सिंह और कर्नल बर्न के बीच हुए युद्ध में गुरुदत्त सिंह के हारने के बाद सिख संघों की शक्तियाँ खत्म हो गईं।
- हरियाणा में भी लोगों ने कर देना बंद कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगे।

- अंग्रेज सरकार के मेवात में नियंत्रण स्थापित करने के लिए 7 वर्ष लगे।
- दक्षिणी हरियाणा पर अब अंग्रेजों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। सिरसा और फतेहबाद में भट्टी शासकों ने अंग्रेजों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया।

- 1809 ई. में अंग्रेज अधिकारी कर्नल एडम्स ने भीषण संघर्ष में दोनों शासकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूत कर दिया। संघर्ष के बाद जाबिता खाँ को सिरसा एवं रानिया की जागीर लौटा दी गई, परन्तु बहादुर खाँ से रियासत छीन ली गई।

कम्पनी द्वारा हरियाणा क्षेत्र में प्रशासनिक परिवर्तन -

- 1819 ई. में कम्पनी ने प्रशासनिक ढाँचे में बदलाव कर रेजिडेंट नामक अधिकारी को राजनीतिक शक्ति प्रदान की, साथ ही कम्पनी द्वारा अधिग्रहीत भाग को 3 क्षेत्रों में बाँट दिया।

1. उत्तरी क्षेत्र - हिसार, पानीपत, रोहतक, सोनीपत।

2. दक्षिणी क्षेत्र - रेवाड़ी, गुरुग्राम, होडल, पलवल व मेवात

3. केन्द्रीय क्षेत्र - दिल्ली।

1833 -34 ई. में अंग्रेजी शासन द्वारा हरियाणा को उत्तरपश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया तथा इसका केन्द्र आगरा को बनाया गया।

ईस्ट इण्डिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह या 19 वीं सदी के प्रमुख विद्रोह एवं बगावत

1. **रानिया की बगावत** - दिसंबर 1809 में अंग्रेजी सेनाओं द्वारा जाबिता खाँ को हराए जाने के बाद उसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली।
 - अंग्रेजों ने उसे सिरसा तथा रानियाँ की रियासत लौटा दी। कुछ दिन उसने अंग्रेजों की आज्ञा का पालन किया। शीघ्र ही उसने अंग्रेजों को आँखें दिखा दी।
 - 1818 ई. में रानियाँ के युद्ध में जाबिता खाँ को हरा कर हिसार रियासत को अपने अधिकार में ले लिया।
2. **छछरौली (जगाधरी) का विद्रोह** - छछरौली कस्बा वर्तमान यमुनानगर जिले में है।
 - 19 वीं शताब्दी में यहाँ का शासक बुंगेलसिंह था।
 - 1809 में बुंगेलसिंह मृत्यु के उपरान्त इस रियासत पर कलसिया रियासत के शासक और करोडसिंधिया मिसल के सबसे बड़े सरदार जोधसिंह ने कब्जा कर लिया।
 - बुंगेलसिंह की विधवा रानी रामकौर ने इसका विरोध किया और अंग्रेजों से सहायता याचना की।
 - दिल्ली के अंग्रेज रेजिडेंट डेविड आक्टर लोनी के आदेश पर अंग्रेजी सेनाओं ने छछरौली पर आक्रमण कर दिया। जोधसिंह को छछरौली छोड़नी पड़ी।
 - अंग्रेजों ने छछरौली का शासन रानी रामकौर को सौंप दिया।
 - 1818 ई. में जोधसिंह ने छछरौली की जनता के सहयोग से छछरौली पर फिर अधिकार कर लिया।

- अंग्रेज रेजीडेंट ने बिग्रोडियर - जनरल आर्नोल्ड के नेतृत्व में छछरौली में सेना भेजी। और आक्रमण कर छछरौली रियासत को जोधसिंह से छीनकर अपने राज्य में विलय कर लिया
- 3. कैथल का विद्रोह** - कैथल रियासत की स्थापना 1763 ई. में भाई गुरुबख्शसिंह ने की थी। 1823 ई. में भाई उदयसिंह गद्दी पर बैठे। 1843 ई. को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे समय महाराज उदय सिंह निः संतान थे।
 - फुलकियाँ मिसल के अन्य राजाओं की सहायता से अर्नोली रियासत के शासक गुलाबसिंह ने कैथल पर अपना हक जताया, पर ब्रिटिश कैथल को हड़पना चाहते थे।
 - उदय सिंह की रानी, सूरज कौर तथा माँ साहिब कौर रियासत का अस्तित्व बचा कर रखना चाहती थीं।
 - 23 मार्च 1843 को अंग्रेजों ने रियासत को ईस्ट इण्डिया कंपनी को सौंपने के आदेश दिए
 - 10 अप्रैल 1843 को अंग्रेजी सेना ने अधिकारी क्लिके के कहने पर कैथल को घेर लिया।
 - 6 दिनों तक संघर्ष चला। जनता ने विधवा रानी साहिब कौर और सूरजकौर का खुलकर साथ दिया। परन्तु 16 अप्रैल 1843 को पटियाला जींद और नाभा के शासकों की मदद से अंग्रेजों ने कैथल नगर और किले पर अधिकार कर लिया। और अंग्रेजों ने कैथल का विलय कर लिया।
- 4. लाडवा का विद्रोह** - लाडवा रियासत की नींव 1763 ई. में सरदार सिंह द्वारा डाली गई थी। 19 वीं सदी के प्रथम दशक में लाडवा रियासत के तत्कालीन शासक गुरुदत्त सिंह ने लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया।
 - उनके उत्तराधिकारी राजा अजीतसिंह भी गुरुदत्त सिंह की ही तरह स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे। यही कारण था कि राजा अजीतसिंह को अंग्रेज अपने रास्ते का रोड़ा मानते थे।
 - 1845 ई. में अंग्रेजों ने राजा अजीतसिंह पर अव्यवस्था का आरोप लगाकर अजीत सिंह को सहारनपुर में नजरबंद कर दिया, परन्तु वह यहाँ से भी भाग निकला।
 - 1845 - 46 में अजीत सिंह ने जेल से भागकर अंग्रेजों से अनेक युद्ध किए तथा अंग्रेज सेनापति हेनरी स्मिथ को गिरफ्तार कर लिया। किन्तु इसी दौरान में वह वीरगति को प्राप्त हुआ। लाडवा रियासत को अंग्रेजों ने हड़पकर अपने राज्य में विलय कर लिया।
- 5. बनावली का विद्रोह** - वर्ष 1835 में बनावली से ईस्ट इण्डिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह शुरू हुआ।
 - 1835 में संगत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। गुलाब सिंह गिल ने जनता की सहायता से विद्रोह शुरू कर दिया।
 - 1835 में अंग्रेजों ने गुलाबसिंह गिल पर आक्रमण कर दिया और वह युद्ध में मारा गया और उसके पुत्र और रानी को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया।

- 6. जींद विद्रोह** - 1813 ई. में जींद के शासक भगतसिंह को लकवा हो गया और उन्होंने अपने पुत्र प्रताप सिंह को शासक नियुक्त किया, किन्तु अंग्रेजों ने रानी सौद्राही को प्रशासक बना दिया। 23 जून 1814 को प्रताप सिंह ने रानी को मारकर अपनी सत्ता स्थापित कर ली।
- अंग्रेजी सेना के आने पर प्रताप सिंह बनावली दुर्ग चला गया, जो रणजीत सिंह के क्षेत्र में आता था। 1819 ई. में भागसिंह की मृत्यु के बाद फतेहसिंह जींद का राजा बना तथा 1822 ई. में उसकी मृत्यु के बाद उसका 11 वर्षीय पुत्र संगत सिंह उत्तराधिकारी हुआ।
 - संगत सिंह का उत्तराधिकारी उसका अपना चचेरा भाई स्वरूप सिंह हुआ, जो अंग्रेजों की स्वामीभक्ति में व्यस्त हो गया। इस प्रकार जींद पर कंपनी का प्रभाव स्थापित हो गया।
- ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा छीनी गई रियासत -**

ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा छीनी गई रियासत		
वर्ष	रियासत का नाम	छीनने का कारण
1818	रानियाँ	नवाब जाबिता खाँ का विद्रोह
1818	छछरौली	रानी रामकौर की अयोग्यता, जोधसिंह का हस्तक्षेप।
1824	अम्बाला	राजा गुरुबख्शसिंह की विधवा सरदारनी दया कौर की मृत्यु
1828	रादौर	राजा दयालसिंह की विधवा इन्द्र कौर की मृत्यु
1829	दियालगढ़	राजा भगवानसिंह की विधवा माई दया कौर की मृत्यु
1832	थानेसर	राजा जमियतसिंह की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु।
1838	बुफोल	राजा हरनामसिंह की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु।
1843	कैथल	राजा उदयसिंह की मृत्यु।
1844	चलौड़ी	राजा भागलसिंह की विधवा सरदारनी राम कौर की मृत्यु।
1845	लाडवा	राजा अजीत सिंह का विद्रोह।
1850	थानेसर	राजा फतेहसिंह की विधवा रानी की मृत्यु।
1850	हलाहर	राजा फतेहसिंह की बिना उत्तराधिकारी की मृत्यु।
1851	दिवालगढ़	राजा भगवानसिंह की विधवा की मृत्यु।

(iv) पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के पांच वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में दो वर्ष की कैद हुई हो।

(v) नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर सात वर्षों से रह रहा हो।

एकल नागरिकता

- भारत में एकल नागरिकता है।
- भारतीय संविधान संघीय है और दोहरी राज पद्धति को अपनाया लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था है।
- लगातार 7 साल बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है।
- नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला निकाय संसद है।

अध्याय - 5

मौलिक अधिकार

भारत के संविधान के भाग तीन में अनु. 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान हैं।

मौलिक अधिकारों की अवधारणा को U.S.A से अपनाया गया है। भारत की व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित महत्व हैं।

- (1) मौलिक अधिकारों के माध्यम से राजनीतिक एवं प्रशासनिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। अर्थात् कोई भी नागरिक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राजनीति में भागीदारी कर सकता है और प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर प्रशासन का हिस्सा बन सकता है।
- (2) मौलिक अधिकारों के माध्यम से सरकार की तानाशाही अथवा व्यक्ति विशेष की इच्छा पर नियंत्रण स्थापित होता है।
- (3) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा स्थापित होती है।
- (4) मौलिक अधिकारों के माध्यम से विधी के शासन की स्थापना होती है।
- (5) मौलिक अधिकारों के माध्यम से अल्पसंख्यक और दुर्बल वर्ग को सुरक्षा प्राप्त होती है।
- (6) मौलिक अधिकारों के माध्यम से पंथनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को सुरक्षा प्राप्त होती है और इसको बढ़ावा मिलता है।
- (7) मौलिक अधिकार सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय यात्रा की स्थापना करते हैं।
- (8) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान की रक्षा होती है।
- (9) मौलिक अधिकार सार्वजनिक हित एवं राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देते हैं।

संविधान के भाग - 3 को 'भारत का मँगाकाटी' की संज्ञा दी गयी है जो सर्वथा उचित है इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में 'न्यायोचित' मूल अधिकारों का उल्लेख किया है।

- मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है, ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं,

ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं : संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है न की व्यक्तियों की।

मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ

- (1) मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य हैं। अर्थात् मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुरक्षा के लिए न्यायालय में अपील की जा सकती है।

- (2) कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से सम्बंधित हैं। जबकि कुछ मौलिक अधिकार व्यक्ति से संबंधित हैं।
- (3) मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाया गया है।
- (4) मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गये हैं। इसलिए ये राज्य के लिए नकारात्मक जबकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक हैं।
- (5) ये राज्य के प्राधिकार की कम करते हैं और व्यक्ति के सम्मान को बढ़ावा देते हैं।
- (6) संसद को भी यह अधिकार नहीं कि वह मौलिक अधिकार से सम्बंधित मूल ढांचे में परिवर्तन कर सके। (नकारात्मक परिवर्तन)
- (7) आपातकाल के समय अनु० 20 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं।
- (8) मौलिक अधिकार शत्रु देश के नागरिक तथा अन्य देशों को प्राप्त नहीं हैं।

राज्य की परिभाषा :-

- मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में 'राज्य' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह अनु. 12 में भाग- 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं :-
- (अ) कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत सरकार।
- (ब) राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य सरकार।
- (स) सभी स्थानीय निकाय अर्थात् नगरपालिकाएँ, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार न्यास आदि।
- (द) अन्य सभी निकाय अर्थात् वैधानिक या गैर - संवैधानिक प्राधिकरण जैसे -एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, आदि।
- उच्चतम न्यायालय के अनुसार, कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' के अर्थ में आती है।

प्रश्न. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए?

A. मूलअधिकारों एवं राज्य नीति के निदेशक तत्वों को यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए साम्य संरचना का सिद्धांत अपनाया गया है।

B. 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर अनुच्छेद 39(ख) एवं (ग) में उल्लेखित राज्य नीति के निदेशक तत्वों की वरीयता से संस्थापित की है।

कूट -

- a. केवल A सही है।
- b. केवल B सही है।
- c. (A) एवं (B) दोनों सत्य हैं।
- d. (A) एवं (B) दोनों गलत हैं।

उत्तर - c

मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ :-

अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होंगी, दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य हैं, यह शक्ति उच्चतम न्यायालय (अनु. 32) और उच्च न्यायालयों (अनु. 226) को प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर - संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं।

अनु. 13 के अनुसार 'विधि' शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है :-

(अ) स्थायी विधियाँ, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित।

(ब) अस्थायी विधियाँ, जैसे - राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश।

(स) प्रत्यायोजित विधान (कार्यपालिका विधान) की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे - अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना आदि।

मौलिक अधिकारों की आलोचना -

- (1) इनका कोई स्पष्ट दर्शन नहीं है। अधिकांश मौलिक अधिकारों की व्याख्या उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ दी गई है।
 - (2) इनमें स्पष्टता का अभाव है और ये सामान्य लोगों की समझ से बाहर हैं।
 - (3) मौलिक अधिकार आर्थिक व्यय की स्थापना नहीं करते।
 - (4) आपातकाल के समय इनका निलंबन हो जाता है।
- Note-** अनुच्छेद - 21 का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता।
- (5) निवारक निरोध जैसे प्रावधान मौलिक अधिकारों को कमजोर करते हैं और राज्य को नागरिकों पर हावी कर देते हैं।
 - (6) संसद के अधिकार हैं कि अनुच्छेद - 368 का प्रयोग कर इनमें कमी कर सकती है।
 - (7) मौलिक अधिकारों के संबंध में मिलने वाला न्याय अत्यधिक महंगा है तथा प्रक्रिया जटिल है।

मौलिक अधिकार

अनु. 12 राज्य -	अनु. 13
(i) संघ सरकार एवं संसद	कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो अतिक्रमण की सीमा तक शून्य हो जाएगी।
(ii) राज्य सरकार एवं विधानमंडल	विधि स्थाई विधि - संसद एवं विधानमण्डल द्वारा निर्मित
(iii) स्थानीय प्राधिकरण / प्राधिकारी	
(iv) सार्वजनिक अधिकारी	

अन्य वे निजी संस्थाएँ जो राज्य के लिए कार्य करती हो	अस्थाई विधि - जब राष्ट्रपति व राज्यपाल अध्यादेश जारी करें। कार्यपालिका के द्वारा निर्मित नियम/विधि ऐसी विधि जो संविधान पूर्व की हो
---	--

प्रश्न. निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है?

- देश के किसी भाग में बसने का अधिकार
- लिंग समानता का अधिकार
- सूचना का अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार

उत्तर - c

(1) समता का अधिकार :- (अनु. 14-18)

(i) विधि के समक्ष एवं विधियों का समान संरक्षण-

संविधान के अनु० 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान है। **विधि के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन से प्रभावित है।** विधि के समक्ष समता से आशय है, विधि सर्वोच्च होगी। और कोई भी विधिक व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगा।

विधि के समक्ष समता की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं-

- कोई भी व्यक्ति (गरीब, अमीर, प्राधिकारी अथवा सामान्य व्यक्ति, सरकारी संगठन गैर सरकारी संगठन) विधि से ऊपर नहीं होगा।
- किसी भी व्यक्ति के लिए अथवा व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार नहीं होंगे।
- न्यायालय सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा।
विधि के समक्ष समता के सिद्धांत के भारत के संबंध में **निम्नलिखित अपवाद हैं।**
- भारत का राष्ट्रपति अथवा राज्यों के राज्यपाल पर पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।
- राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को इन पदों पर रहते हुए लिए गए निर्णयों के संबंध में न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।
- कोई व्यक्ति यदि संसद अथवा राज्य विधानमंडल की कार्यवाही को उसी रूप में प्रकाशित करता है तो उसे दोषी नहीं माना जायेगा।
- संसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को सदन की कार्यवाही के आरम्भ होने के 40 दिन पूर्व तथा कार्यवाही के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी दीवानी मामले में न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।

(v) विदेशी राजनयिक अथवा कूटनीतिज्ञ फौजदारी मामलों एवं दीवानी मामलों से मुक्त होंगे।

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे - UNO, ADB, WB, IMF आदि के अधिकारी एवं कर्मचारी दीवानी एवं फौजदारी मामलों से मुक्त होंगे।

विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा U.S.A. की देन है।

विधियों के सामान संरक्षण से आशय है। "समान के साथ समान व्यवहार तथा असमान के साथ असमान व्यवहार"

इस अवधारणा को सकारात्मक माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से किसी के साथ अन्याय नहीं होता।

भारत में बाल सुधार कानून, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष कानून, महिलाओं के लिए विशेष कानून इसका उदाहरण है।

कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध

- अनु. 15 में यह प्रावधान है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। यह व्यवस्था राज्य और व्यक्ति दोनों पर समान रूप से लागू होती है।
- इसमें प्रावधान है कि राज्य के द्वारा दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, मनोरंजन के स्थान आदि पर उपर्युक्त आधारों पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- इसके अलावा राज्य निधि से पोषित कुओं, तालाबों, स्नानघाट आदि का प्रयोग करने से किसी व्यक्ति को उपर्युक्त आधारों पर रोका नहीं जायेगा।
- इसमें यह भी प्रावधान है कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है।
- इसमें यह भी व्यवस्था है कि राज्य SC, ST तथा शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण कर सकता है।
- इसमें प्रावधान है कि राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण कर सकता है।

लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समता (अनु. - 16)

अनु. 16 में यह प्रावधान कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में अवसर की समता होगी। केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

लेकिन निम्नलिखित मामलों में अवसर की समता के सिद्धांत का उल्लंघन किया जा सकता है -

- संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवासी की शर्त शामिल कर सकती है। इसी प्रावधान के तहत अनेक राज्यों में राज्य के मूल निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं।

अध्याय - 12

उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुत्राविलोकन

भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया गया है। न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के आकार की होती है, जिसमें सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय माध्यमिक स्तर पर उच्च न्यायालय तथा निचले स्तर पर जिला अदालत होती है।

- 1793 में कॉर्नवालिस के शासनकाल में निचली अदालतों का गठन किया गया।
- 1861 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट के अनुसार प्रथम तीन उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। (बम्बई, मद्रास, कलकत्ता,)
- 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत फेडरल कोर्ट का गठन किया गया। यही वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है। इन अदालतों की दंड प्रणाली एवं कार्य प्रणाली ब्रिटिश काल में ही निर्मित हो गई थी
- 1860 में आईपीसी इंडियन पैनल कोर्ट का गठन हुआ। 1862 में इसे लागू कर दिया गया।
- 1908 में सिविल प्रोसेशन कोर्ट अस्तित्व में है।
- 1973 में क्रिमिनल कोर्ट प्रोसेशन कोर्ट अस्तित्व में आई।
- **भारत में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। (सर्वोच्च न्यायालय)**
- सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है।
- भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद की है।
- **भारतीय न्यायपालिका की स्थिति U.S.A. एवं U.K. के मध्य में है।**
 - U.S.A. में न्याय सर्वोच्चता की स्थिति है।
 - फेडरल कोर्ट संसद से अधिक शक्तिशाली है।
 - U.K. में संसदीय संप्रभुता की स्थिति है। संसद, न्यायपालिका की स्थिति में श्रेष्ठ है। भारत में संसदीय संप्रभुता और न्याय व्यवस्था के मध्य की स्थिति को अपनाया गया।
 - संविधान के दायरे में दोनों ही शक्तिशाली हैं।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय (आर्टिकल - 124)

- 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, परंतु वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट 1935 के फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी है। 28 जनवरी 1950 से अस्तित्व में है।
- मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान है। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश व 34 अन्य न्यायाधीश हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है।

परंतु 1993 से ही सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम निर्णायक भूमिका निभा रहा है।

- इस कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के साथ चार वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं।
- राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है तथा यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में कहीं भी वकालत नहीं कर सकते।

▪ [जब सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे परमादेश (मेंडमस) कहते हैं।]

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हता (योग्यता)

- किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो।
- किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो।
- राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता रहा हो।

Ø H. J. Kania सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।

वर्तमान JI → उदय उमेश ललित (49वाँ) N.V. रमन्ना (48 वाँ)

Ø K. N. Singh मात्र 18 दिन तक ही मुख्य न्यायाधीश रहे।

Ø राजेंद्र बाबू मात्र 23 दिन तक ही मुख्य न्यायाधीश रहे।

Ø Y. V. Chandrachud भारत के सबसे अधिक समय तक सीजीआई थे।

Ø 1973 में ए. एन. राय को वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन करते हुए सीजेआई बनाया गया।

Ø फातिमा बीवी पहली महिला न्यायाधीश थी। (सुप्रीम कोर्ट) वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 11 महिला न्यायाधीश हैं।

Ø अन्य महिला न्यायाधीश हैं - सुजाता मनोहर, रमा पाल, ज्ञान - सुधा - मिश्रा, रंजना प्रकाश देसाई।

Ø अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहीयों की जांच ना किया जाना, का प्रावधान है।

▪ [महान्यायवादी, इसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार है, लेकिन वोट डालने का नहीं।]

▪ [महान्यायवादी, जो संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है।]

▪ [महान्यायवादी को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।]

- (1) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल :- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है।

न्यायाधीशों का कार्यकाल :- संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित तीन उपबंध बनाए गये हैं :-

1. वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है, उसके मामले में किसी प्रश्न उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी।
2. वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है।
3. संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है।

(2) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया

- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कार्यकाल के बीच से केवल संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है।
 - कदाचार एवं शारीरिक एवं मानसिक असमर्थता के आधार पर भी हटाया जा सकता है।
 - **किसी भी सदन द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है।** परंतु इसके लिए लोकसभा के कम से कम 100 अथवा राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा लिखित प्रस्ताव देना होता है।
 - इस प्रस्ताव के बाद संबंधित सदन में सभापति के सदस्यों द्वारा 3 सदस्यी समिति का गठन किया जाता है।
 - इस समिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा एक विधिवेत्ता (कानून विशेषज्ञ) शामिल होता है। समिति की रिपोर्ट के बाद सभापति द्वारा एक सत्र बुलाए जाने का प्रस्ताव रखा जाता है।
 - यह प्रस्ताव एक ही सत्र में पारित होना चाहिए।
 - इस प्रस्ताव को **प्रत्येक सदन कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित करता है।**
 - दूसरे सदन के न्यायाधीशों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर न्यायाधीश को पद मुक्त कर दिया जाता है।
 - अभी तक हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों के प्रति यह प्रस्ताव लाया जा चुका है, परंतु यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।
1. 90 के दशक में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश सी वी रामास्वामी के विरुद्ध प्रस्ताव लोक सभा में गिर गया था।
 2. हाई कोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ प्रस्ताव राज्य सभा ने पारित कर दिया व उन्होंने त्यागपत्र दे दिया।
 3. हाई कोर्ट के ही न्यायाधीश S. Dinkaran ने समिति की रिपोर्ट आने के बाद त्याग पत्र दे दिया।
- राष्ट्रपति की सहमति से मुख्य न्यायाधीश द्वारा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

- सुप्रीम कोर्ट अपील की सबसे बड़ी अदालत है।
- हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, परंतु इसके लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।
- **कोर्ट मार्शल अदालतों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती।**
- **प्रारंभिक अपील** - निम्न स्थितियों में पहली अपील सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है।
 - I. मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले। (आर्टिकल - 32)
 - II. यदि किसी मुकदमे में एक पक्ष भारत सरकार का हो।
 - III. जब दो राज्यों के मध्य विवाद हो।
 - IV. राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में।
 इसी बेंच में यह निर्णय लिया गया कि संविधान का मूल चरित्र उल्लंघनीय है।

कार्यकारी, तदर्थ और सेवा निवृत्त न्यायाधीश :-

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश : राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब;

1. मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो,
2. अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो,
3. मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ है।

तदर्थ न्यायाधीश : जब कभी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही कर सकता है इस पद पर नियुक्त व्यक्ति के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हताएं होनी चाहिए। तदर्थ न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को अन्य दायित्वों की तुलना में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के दायित्वों को ज्यादा वरीयता देनी होगी। इस दौरान उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्याय निर्णयन शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश : किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है ऐसा संबंधित व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के ही किया जा सकता है ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्तों का उपभोग करने योग्य होता है वह उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह न्याय निर्णयन, शक्तियों और विशेषाधिकारों का अधिकारी होगा, परंतु वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा।

अध्याय - 30

स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्था

प्राचीनकाल में -

- वैदिककाल में सभा, समिति, विदथ नामक राजनीतिक संस्थाएँ थी जो स्थानीय पंचायत और केन्द्रीय सभा का कार्य करती थी।
- अथर्ववेद में ग्रामणी शब्द का उल्लेख मिलता है जो ग्राम का प्रमुख होता था।
- बौद्धकाल में 'ग्राम' का मुखिया 'ग्रामयोजक' होता था।
- मौर्यकाल में ग्रामसभा का मुखिया 'ग्रामिक' कहलाता था।
- सर्वप्रथम ग्राम पंचायत व्यवस्था स्वरूप 'चोल साम्राज्य' में प्राप्त होता है। चोलकाल में पंचायत को 'ऊर' कहा जाता था।
- मुगलकाल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई 'ग्राम' थी जिसका मुखिया 'मुकद्दम' या 'चौधरी' कहलाता था तथा मुगलकाल में नगर का प्रमुख 'कोतवाल' कहलाता था।

ब्रिटिश भारत में-

- ब्रिटिश भारत में स्थानीय शासन का आरम्भ वर्ष 1688 से मद्रास नगर निगम की से माना जाता है
- भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक 'लॉर्ड रिपन' को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जिला बोर्ड ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत का गठन किया एवं स्थानीय निकायों के विकास का प्रस्ताव तैयार किया। लॉर्ड रिपन के इसी प्रस्ताव को 'स्थानीय शासन' का मैगाकार्टा कहा जाता है।
- वर्ष 1919 में मान्टेग्यू चेम्स फोर्ड अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तान्तरित विषयों में शामिल किया गया तथा वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को प्रान्तीय / राज्य सूची में रखा गया।
- महात्मा गाँधी ने 'ग्राम स्वराज्य' की कल्पना अपनी पुस्तक 'माई पिक्चर ऑफ फ्री इण्डिया' में की।

- पंचायतीराज राज्य सूची का विषय है।

पंचायती राज

- पंचायतीराज भारतीय संविधान के भाग-4 (नीति - निर्देशक तत्व) के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत (पंचायतीराज) की व्यवस्था की गई है।
- प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1952 को 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' चलाया गया फोर्ड फाउण्डेशन के सहयोग से लेकिन सरकारी मशीनरी (नौकरशाहों) के अत्यधिक हस्तक्षेप व जनसहभागिता की कमी के कारण यह कार्यक्रम असफल रहा। 2 अक्टूबर, 1953 को 'राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम' चलाया गया। इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य -ग्रामीण विकास था लेकिन यह कार्यक्रम असफल रहे।
- 'पंचायती राज' और 'नगरपालिका प्रणाली' को संवैधानिक अस्तित्व प्राप्त करने में एक लम्बा संघर्ष करना पड़ा।
- वर्ष 1957 में 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' व 'राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम' की असफलता की जाँच हेतु गठित समिति **बलवन्त राय मेहता समिति** ने सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश की जिसे स्वीकार कर लिया गया साथ ही सभी राज्यों को इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा गया।
- सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर (बगदरी गाँव) जिले में 2 अक्टूबर, 1959 को पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी और उसी दिन इसे सम्पूर्ण राज्य (राजस्थान) में लागू कर दिया गया।
- किन्तु वाँछित सफलता प्राप्ति में कमी ने इस पर गम्भीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया। अनेक समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने अपनी सिफारिशों से पंचायती राज को मजबूती प्रदान की।

क्र.सं.	वर्ष	समिति का नाम	प्रमुख सिफारिशें
1.	1957	बलवन्त राय मेहता	<ul style="list-style-type: none"> • लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की। • पंचायतीराज का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिए। i. जिला स्तर पर - जिला परिषद ii. ब्लॉक (खण्ड) स्तर पर - पंचायत समिति iii. ग्राम स्तर पर (सबसे निचला स्तर) - ग्राम पंचायत • जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला कलेक्टर को बनाये जाने की सिफारिश की। • इन्होंने मध्य / खण्ड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की।
2.	1977	अशोक मेहता	<ul style="list-style-type: none"> • पंचायतीराज का ढाँचा द्विस्तरीय होना चाहिए। i. जिला स्तर जिला परिषद ii. मण्डल स्तर पर पंचायत समिति • इस समिति ने ग्राम पंचायत (निम्न स्तर) को समाप्त करने की सिफारिश की। • इस समिति ने जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की। • अनुसूचित जाति व जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश की। • दलगत प्रणाली के आधार पर पंचायतीराज के चुनाव कराने की सिफारिश की। • पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 4 वर्ष करने की सिफारिश।

			<ul style="list-style-type: none"> • पंचायतीराज संस्थाओं के मामलों की देखरेख हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की सिफारिश की । • न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की ।
3.	1985	जी.वी.के. राव समिति	<ul style="list-style-type: none"> • पंचायतीराज का ढाँचा चार स्तरीय होना चाहिए :- i. राज्य स्तर पर - राज्य परिषद ii. जिला स्तर पर - जिला परिषद iii. खण्ड स्तर पर- पंचायत समिति iv. ग्राम स्तर पर - ग्राम पंचायत • इस समिति ने खण्ड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की । • जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन करने की सिफारिश की । • इस समिति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की। • पंचायतीराज संस्थाओं के नियमित चुनाव कराये जाने की सिफारिश की । • पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष करने की सिफारिश की । • इस समिति ने पंचायतीराज संस्थाओं को 'बिना जड़ की घास' कहा । इस समिति को 'कार्ड समिति' के नाम से भी जाना जाता है ।
4.	1986	एल.एम. सिंघवी	<ul style="list-style-type: none"> • पंचायतीराज का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिए । • पंचायतीराज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की • न्याय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया । • ग्राम सभा को महत्व देने की सिफारिश की तथा • ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति कहा । • राज्य वित्त आयोग की स्थापना की सिफारिश
5.	1988	पी.के. थुंगन	<ul style="list-style-type: none"> • पंचायतीराज का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिए । • पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश । • पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए । • जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की । • इस समिति ने पंचायतीराज को संघ सूची का विषय बनाने की सिफारिश की।
6.	1963	के. संधानम	
7.	1966	जी. रामचन्द्रन	
8.	1976	दया चौबे	
9.	1978	दांतेवाला	
10.	1984	हनुमंतराव	
11.	1988	वी. एन. गॉडगिल	

पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा

- वर्ष, 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने पंचायतों के सुधार व सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली तथा एल. एम. सिंघवी समिति और थुमन समिति की सिफारिशों के आधार पर लोकसभा में 64वाँ संविधान संशोधन विधेयक (पंचायतीराज) तथा 65वाँ संविधान संशोधन विधेयक(नगरीय निकायों) ले लिए प्रस्तुत किया। जिसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिए गए लेकिन राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के कारण विधेयक समाप्त हो गया।
- तत्पश्चात्, वर्ष 1992 में पंचायत सम्बन्धी प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव द्वारा 73वाँ संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा एवं

राज्यसभा ने क्रमशः 22 एवं 23 दिसम्बर, 1992 को पारित कर दिया।

- 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद 20 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दी। 24 अप्रैल, 1993 से 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया।(लेकिन यह अधिनियम मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मणिपुर के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों व पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, पर्वतीय क्षेत्र तथा 5 वीं व 6 ठी अनुसूची में वर्णित राज्यों लागू नहीं होता)
- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने से देश के संघीय लोकतांत्रिक ढाँचे में एक नए युग का सूत्रपात

अनुच्छेद 243 ब. नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व ।

अनुच्छेद 243 भ. नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ ।

अनुच्छेद 243 म. वित्त आयोग ।

अनुच्छेद 243 य. नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा।

अनुच्छेद 243 यक. नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन ।

अनुच्छेद 243 यख. संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्वाचन ।

अनुच्छेद 243 यग. इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना।

अनुच्छेद 243 यघ. जिला योजना के लिए समिति ।

अनुच्छेद 243 यइ. महानगर योजना के लिए समिति ।

अनुच्छेद 243 यच. विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना।

अनुच्छेद 243 यछ. निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन ।

भाग-9 (ख) : सहकारी समितियों के गठन को प्रावधान
इस संशोधन में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। नागरिकों को संगम या संघ बनाने के साथ सहकारी समितियाँ बनाने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है।

भाग-10: अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र

अनुच्छेद 244. अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन।

अनुच्छेद 244. (क) असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान मंडल या मंत्रिपरिषद् या दोनों का सृजन करना।

भाग-11: संघ और राज्यों के बीच संबंध

अध्याय-1, विधायी शक्तियों का वितरण

अनुच्छेद 245. संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनायी गयी विधियों का विस्तार।

अनुच्छेद 246. संसद द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनायी गयी विधियों की विषयवस्तु।

अनुच्छेद 247. कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 248. अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ।

अनुच्छेद 249. राज्य सूची के विषय के संबंध में व राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 250. यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति ।

अनुच्छेद 251. संसद द्वारा अनुच्छेद 249 तथा अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में संगति ।

अनुच्छेद 252. दो या अधिक राज्यों के लिए इनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना।

अनुच्छेद 253. अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान ।

अनुच्छेद 254. संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान - मण्डलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति ।

अनुच्छेद 255. सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना ।

अध्याय-2, प्रशासनिक सम्बन्ध

अनुच्छेद 256. राज्यों की और संघ की बाध्यता।

अनुच्छेद 257. कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण।

अनुच्छेद 258. कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति

अनुच्छेद 258 (क) संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति।

अनुच्छेद 259. पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के सशस्त्र बल ।

अनुच्छेद 260. भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता।

अनुच्छेद 261. सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ

जल सम्बन्धी विवाद

अनुच्छेद 262. अंतर्राष्ट्रीय नदियों या नदी-नालों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन।

राज्यों के बीच समन्वय

अनुच्छेद 263. अंतर्राष्ट्रीय परिषद् के सम्बन्ध में उपबंध ।

भाग- 12 : वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद

अध्याय-1, वित्त

अनुच्छेद 264. निर्वाचन।

अनुच्छेद 265. विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना।

अनुच्छेद 266. भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा ।

अनुच्छेद 267. आकस्मिक निधि।

संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण

अनुच्छेद 268. संघ द्वारा उद्गृहीत किये जाने वाले, किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किये जाने वाले शुल्क।

अनुच्छेद 269. संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत, किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर।

अनुच्छेद 270. संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किये जाने वाले कर।

अनुच्छेद 271. कुछ शुल्कों और करों पर संघ के लिए अधिभार ।

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -  (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - <https://shorturl.at/qBJ18> (74 प्रश्न, 150 में से)

RAS Pre 2023 - <https://shorturl.at/tGHRT> (96 प्रश्न, 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - <https://youtu.be/gPqDNlc6URO>

Rajasthan CET 12th Level - <https://youtu.be/oCa-CoTFu4A>

RPSC EO / RO - <https://youtu.be/b9PKj14nSxE>

VDO PRE. - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8&t=202s>

Patwari - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s>

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - <https://youtu.be/2gzzfJyt6vl>





EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्टूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये
RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 में से)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)

SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2 nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2 nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1 st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2 nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2 nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1 st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21 नवम्बर 2021 (1 st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1 st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1 st शिफ्ट)	98 (150 में से)





& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.



Our Selected Students

Approx. 137+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	11419512037002 2	PratapNag ar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
	Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati	SSC CHSL tier- 1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A.	Mahender Singh	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumang arh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumang arh
N.A.	Mangilal Siyag	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

	MONU S/O KAMTA PRASAD	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
	Govinda Jangir	RAS	1231450	Hanumang arh
N.A.	Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawa la
N.A.	LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A.	Ramchandra Pediwal	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village- gudaram singh, teshil-sojat
N.A.	OM PARKSH	RAS	N.A.	Teshil- mundwa Dis- Nagaur
N.A.	Sikha Yadav	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
	Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel	Rac batalian	729141135	Dis.- Bhilwara
N.A.	mukesh kumar bairwa s/o ram avtar	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUN U
N.A.	Rinku	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	Rupnarayan Gurjar	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

	Jagdish Jogi	EO/RO Marks) (84	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota

And many others.....

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp करें - <https://wa.link/ua8u6t>

Online order करें - <http://surl.li/pclyv>

Call करें - **9887809083**